




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

आदेश क्रमांक 23/19-2017 PS(4)

दिनांक, पंचकूला: 02-11-2017

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित-शक्तियों का प्रयोग करते हुए M. D. Sr. Sec. School, Mankrola (Gurugram) को कक्षा 1 से 12 तक केन्द्रिय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विद्यालय के स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक E-4/2017/427-33 दिनांक 18-08-2017 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभागा की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापिस लिया समझा जायेगा।


राजीव रत्न
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक पंचकूला 9/11/2017

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्धक समिति, Vedic Shiksha Samiti, Vill. Mankrola (Gurugram)
2. सचिव केन्द्रिय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र-2, कम्युनिटी सेन्टर, प्रीत विहार दिल्ली।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, Gurugram.
5. Principal, M.D. Sr. Sec. School, Mankrola (Gurugram).
6. टेक्नोलोजी आफिसर (लोकल)।


अधीक्षक पीएसओ
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।